



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन
संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



सूचना प्रसारण

पत्रांक- 578 /12-1 देहरादून
सेवा में,

दिनांक: 16 सितम्बर, 2025

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद-बोगेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी 15 से उडलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No.-FP/UK/ROAD/154869/2022)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का की पत्र संख्या 08बी/यू०सी०पी०/०६/४०/२०२३/एफ०सी०/७६० दिनांक ३१-०८-२०२३।

महोदय,

प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी अनुपालन आख्या कार्यदायी संस्था द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित की गई है जिसे प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 249/12-1(2) दिनांक 22-07-2025 से वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा को प्रेषित की गई है जिसे उनके द्वारा अपने पत्रांक 293/12-1(2) दिनांक 20-03-2025 से निम्नानुसार प्रेषित किया गया है-

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने बाद ही वन भूमि सौंपे जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.522 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की	प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 2,83,465.00 (दो लाख तिरासी हजार चार सौ पैंसठ) के सापेक्ष ₹ 2,34,269.00 (दो लाख चौतीस हजार दो सौ उन्हत्तर) मात्र की धनराशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No.

	तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	SBIN324095578575 Dtd. 04.04.2024 द्वारा जमा किया गया है। (संलग्नक-1) एवं रू0 49,196.00 (उन्पचास हजार एक सौ छियानवे) का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN425164765962 Dtd 13.06.2025 द्वारा जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-2)
(ख)	राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक-3)
(ग)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की KML फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित SM/C कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और सतंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और सतंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किये जाने एवं प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रित रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और सतंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किये जाने एवं प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

6	शुद्ध वर्तमान मूल्य:-	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम-2023 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.261 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003 एवं 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 3,37,434.00 (तीन लाख सैंतीस हजार चार सौ चौतीस मात्र) का 0.261 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक-4)
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों एवं 11 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों एवं 11 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के क्रम में प्रस्ताव में प्रारूप सं०-54 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर०सी०सी०पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हों।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर०सी०सी०पिलर्स द्वारा सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। इनके अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से किया जाने एवं मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की नहीं किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in पर अपलोड की जायेगी,	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

	समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वनभूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वनभूमि पर नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार प्रेषित उत्तरालेख के आधार पर उक्त प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या ९५८/12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 293 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 01/08/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद बागेश्वर अन्तर्गत बैजनाथ- बागेश्वर मोटरमार्ग के किमी 0 15 से उडलगौव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(प्रस्ताव सं०- 154869/2022)

संदर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक संख्या- 8बी०/यू०सी०पी०/०६/४०/२०२३/एफ०सी०/७६० दिनांक- 31.08.2023

महोदय,

विषयगत प्रकरण के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक - 249/12-1-2 दिनांक- 22.07.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उक्तानुसार।

भवदीय

प्रमुख वन संरक्षक व नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
देहरादून
पत्रांक सं० 773
पत्रांक 12-8-25

प्रभारी बागेश्वर
आ० का० के०।

68

पु० व० ले० नो०
6-8-25

डॉ० धीरज पाण्डेय
(डॉ० धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं०:- 05963-220249 फैक्स नं०:- 05963-220209

पत्रांक 249
सेवा में,

/ 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 22/7/2025

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय : जनपद बागेश्वर अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी० 15 से उडलगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/154869/2022)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/40/2023/एफ०सी०/760 दिनांक 31.08.2023।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी० 15 से उडलगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्तृ अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :-

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि व परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि व अधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी- प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:- क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.522 ha area (तत्कालीन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए।	क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु 2,34,269.00 (दो लाख चौतीस हजार दो सौ उनहत्तर) मात्र की धनराशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN324095578575 Dtd 04.04.2024 द्वारा जमा किया जा चुका है। (चालान की प्रति संलग्न) आवश्यक धनराशि रु 49,196.00 (उनपचास हजार एक सौ छियानब्बे) का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN425164/65962 Dtd 13.06.2025 द्वारा जमा किया जा चुका है। (चालान की प्रति संलग्न)
4	राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	ख) पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र तैयार कर संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित वन भूदान वाले क्षेत्र की कोऑर्डिनेट एरिया ड्रीटमेंट क्षेत्र और	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की कोऑर्डिनेट एरिया ड्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर

डब्ल्यूएल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
4- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
5- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6 शुद्ध वर्तमान मूल्य:-	
(क) इर सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में 1A नं० 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम-2023 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस स्ताव के तहत 0.261 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में 1A नं० 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003 एवं 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू० 3,37,434.00 (तीन लाख सैंतीस हजार चार सौ चौतीस मात्र) का 0.261 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका ए० शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न-)
7 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई का न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों एवं 11 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों एवं 11 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।

○ और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित थु जमा किए जाएंगे।	
9 एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के क्रम में प्रस्ताव में प्रारूप सं० -54 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
11 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14 सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर०सी०सी०पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर०सी०सी०पिलर्स द्वारा सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15 परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता

○	राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	अभिकरण सहमत है।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वनभूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वनभूमि पर नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सलग्न-चार प्रतियों में

भबदीय,

 (ध्रुव सिंह भबदीय)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 1584/2 इ0व0भू0

दिनांक 19/06/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 15 से उडलगोव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No: FP/UK/ROAD/154869/2022)

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/40/2023/एफ0सी0/760 दिनांक 31.08.2023.

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत् प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तों के अनुपालन आख्या

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी -प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
	क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.522 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹0 2,34,269.00 मात्र (₹0 दो लाख चौतीस हजार दो सौ उनहत्तर मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN324095578575 Dtd 04-04-2024 द्वारा किया जा चुका है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न-1) आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.522 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ₹0 49,196.00 मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN425164765962 Dtd 13-06-2025 द्वारा जमा किया जा चुका है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न-2)

जायन संख्या 5053

दिनांक 19/6/2025

शारीर

फाइल संख्या 19/6/2025

आवश्यक कार्य पूर्ण करें।

40 प्रशी0 अधि0

प्र0 व0 अधि0

7.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों एवं 11 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों एवं 11 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8.	परियोजना के तहत परियोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित / जमा किया गया है (चालान की प्रति संलग्न)।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रस्ताव में संलग्न की जा चुकी है।
10.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के क्रम में प्रस्ताव में प्रारूप सं०-54 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward /Backward bearings अंकित हों।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वनभूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वनभूमि पर नहीं किया जायेगा- इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायलय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायलय / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,-	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना चार प्रति में अपने स्तर से जोड़ल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

भवदीय,

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/40/2023/एफ.सी./760

दिनांक: 31/08/2023

सेवा में,

✓ अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद- बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से उड़लगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/154869/2022)

सन्दर्भ: कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2005/FP/UK/ROAD/154869/2022 दिनांक 20-02-2023

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अनुपालना कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.08.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार-जनपद- बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से उड़लगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.522 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।

P. e. Attached



सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०व०
बागेश्वर

*ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

6. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.261 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों एवं 11 saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

14. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

P. C. - A. B. / 15/11/20

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०
बागेश्वर

16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
20. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
21. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
22. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।
23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
24. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
26. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

P. C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०
बागेश्वर

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 1469 / 12-1-2

बागेश्वर, दिनांक : 11 / 10 / 2023

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

विषय - जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से उड़लगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं० 8बी/यू.सी०.पी./06/40/2023/एफ.सी./760 दिनांक 31.08.2023।

महोदय, उपरोक्त विषयक क्रम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1459/3-5-2 दिनांक 01.07.2021 के द्वारा निर्धारित दरो के क्रम में वर्ष 2023-24 के दर से वसूली वर्ष हेतु किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापित के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र०सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	0.261 है०	5	0.4	12,92,850.00	3,37,434.00
2	522 पोथों का वृक्षारोपण	0.522 है०	"—"	"—"	4,48,791.00	2,34,269.00

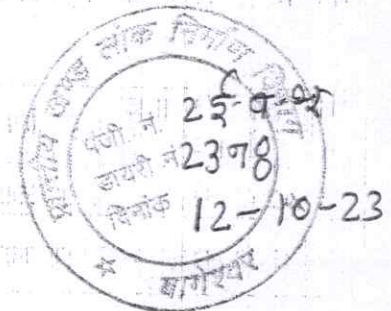
A.E.II/वनवृद्धिउद्देश्यक

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

11/10/23
[Signature]
11/10/23

P. C. Attest

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर



NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-04-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	61154869374
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	571703/-

Amount In Words : Five Lakh Seventy-One Thousand Seven Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961154869374 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-04-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	61154869374
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	571703/-

Amount In Words : Five Lakh Seventy-One Thousand Seven Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961154869374 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

P.e. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०न०वि०
बागेश्वर

3/04/24
Executive Engineer
Prov. Division P.W.D
Bageshwar

03/04/24



SBIN 324095678575

009559 NEFT: Message Details

NEFT: Message Details

UTR Number

SBIN324095578575

Transaction

01693

Branch

Value Date

04/04/2024

Amount

5,71,703.00

INR

Commission

0.00

Beneficiary Details

Beneficiary

Account

1508961154869374

Beneficiary Name

UTTARANCHAL CAMPA

Beneficiary

Address

BANGALORE

IFSC Code

UBIN0996335

Remitting Customer Details

Account Number

37608159322

Remitter's Name

EE PD PWD BAGESHWAR

Remitter's

Address

BAGESHWAR

Re-Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोनाविठ
बागेश्वर

Sender's To Receiver Information

Deposit/Reinvestment



Details of Payment

Error Code

Fund Status

--	--

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 4504/124-2

बागेश्वर, दिनांक : 28/04/2025

सेवा में

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

विषय - जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से उडलगॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं० 8बी/यू, सी०.पी./06/40/2023/एफ.सी./760 दिनांक 31.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

जमा प्रस्ताव में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा राज्याधिकार स्वीकृति में लगायी गयी शर्त संख्या 03 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पोथो का 0.522 है० क्षेत्र में रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु पोधारोपण योजना के अनुसार रोपण के लिए धनराशि कम जमा की गयी है।

अतः आप निर्धारित तालिका अनुसार अवशेष धनराशि रु० 49,196.00 को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र० सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०की० क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
	522 पोथो का वृक्षारोपण	0.522 है०	5	0.4	5,43,037.00	2,83,465.00	2,34,269.00	49,196.00
	कुल योग					2,83,465.00	2,34,269.00	49,196.00

(ध्रुव सिंह भर्तलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

P. e. Allagat

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-05-2025

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	61154869785
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	49196/-

Amount in Words :Forty-Nine Thousand One Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961154869785 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-05-2025

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	61154869785
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	49196/-

Amount in Words :Forty-Nine Thousand One Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961154869785 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

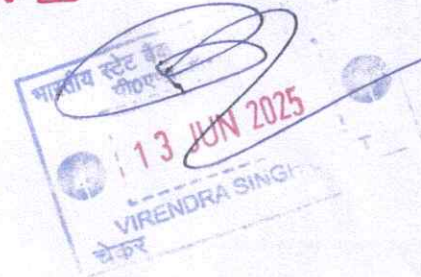
Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBIN42 516476 5962

P.C. - Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
बागेश्वर

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर



परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से उडलगांव तक निर्माण हेतु 0.522 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य।

1-पौधारोपण स्थल का नाम- द० खबडोली कक्ष सं०-5

2-रोपित किये जान वाले पौधों की सं०-1100 पौध प्रति है०।

3-रोपित किये जाने वाली पौधों की प्रजाति-बांज,फल्यांट, तिलौज आदि

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
	प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य				
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमाकेशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	1	प्रति है०	1453.00	1453.00
2	क्षेत्र की सफाई	1	प्रति है०	1259.00	1259.00
3	घेरबाड़ कार्य	100	प्रति घमी०	679.00	67900.00
4	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	1320	प्रति पौध	15.90	20988.00
5	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1100	प्रति गडडा	15.80	17380.00
6	भूमि संरक्षण कार्य 1-कन्दूर फर्रे 450 र०मी० (450x27=12150) (औसत साईज-1x0.30x0.30) 2- चाल-खाल 2 सं० (2x5000=10000) (औसत साईज-4x2.5x1.00) कुल योग-22150	ल०स०	प्रति है०	28750.00	28750.00
7	निरीक्षण बटिया	1	प्रति है०	1046.00	1046.00
				Total	138776.00
				Say	138780.00
8	वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक भू० व जल संरक्षण विकास एवं अनुरक्षण कार्य-2 प्रतिशत				2775.60
9	भूल्याकन व अभिलेखीकरण-0.50 प्रतिशत				693.90
10	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				693.90
11	अन्य आकरिमक व्यय-2 प्रतिशत				2775.60
				Total	145719.00
	प्रथम वर्ष का योग				145720.00
	द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य				
1	गडडा भरान	1100	प्रति गडडा	2.48	2728.00
2	कन्दूर फरों में बीज बुआई	450	प्रति र०मी०	1.50	675.00
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	1320	प्रति पौध	2.70	3564.00
4	पौध डुलान				
5	वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	1320	प्रति पौध	12.17	16064.40
6	सिरबोझ डुलान 3 कि०मी०	1320	प्रति पौध	8.16	10771.20
7	पौध रोपण	1100	प्रति पौध	4.44	4884.00
8	निराई-गुडाई प्रथम बार	1100	प्रति पौध	1.64	1804.00
9	निराई-गुडाई द्वितीय बार	1100	प्रति पौध	1.64	1804.00
10	खाद/रसायन	1100	प्रति पौध	0.45	495.00
11	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 8 माह)/5 है०=20568	1	है०	20568.00	20568.00
12	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	प्रति है०	318.00	318.00
13	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिमलिंग-पूनिग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है०)	100	प्रति है०	26.67	2667.00
14	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य	450	प्रति है०	1.50	675.00
				Total	67017.60
				Say	67000.00

P.C. Arora

सहायक अभियन्ता
ग्रामीय खण्ड, सो०नि०वि०
बागेश्वर

15	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				670.00
16	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				335.00
17	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				1340.00
18	साईन बोर्ड लगाना (3X4 फीट)			L.S.	1000.00
				Total	70345.00
	द्वितीय वर्ष का योग				70350.00
	तृतीय वर्ष-अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व डुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	220	प्रति पौध	38.93	8564.60
3	निराई-गुड़ाई मलिंग व थाववलाबन्दी प्रथम बार	1100	प्रति पौध	1.64	1804.00
4	निराई-गुड़ाई मलिंग व थाववलाबन्दी द्वितीय बार	1100	प्रति पौध	1.64	1804.00
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	43342.60
				Say	43340.00
6	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				433.40
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				216.70
8	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				866.80
				Total	44856.90
	तृतीय वर्ष का योग				44860.00
	चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	चतुर्थ वर्ष का योग				32260.00
	पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	पंचम वर्ष का योग				32260.00
	षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70

P.e. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रन्तीय खण्ड, लोड नि० वि०
बागेश्वर

4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	षष्ठम वर्ष का योग				32260.00
	सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	सप्तम वर्ष का योग				32260.00
	अष्टम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	अष्टम वर्ष का योग				32260.00
	नवम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	नवम वर्ष का योग				32260.00
	दशम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	दशम वर्ष का योग				32260.00
	एकादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00

P.C. Attended
 सहायक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, सो०नि०वि०
 बागेश्वर

2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	एकादश वर्ष का योग				32260.00
	द्वादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	द्वादश वर्ष का योग				32260.00
	व्यय सार:-				
1	प्रथम वर्ष-अग्रिम मृदा कार्य				145720
2	द्वितीय वर्ष-वृक्षारोपण कार्य				70350
3	तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)				44860
4	चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)				32260
5	पंचम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)				32260
6	षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)				32260
7	सप्तम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)				32260
8	अष्टम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)				32260
9	नवम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)				32260
10	दशम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)				32260
11	एकादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)				32260
12	द्वादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)				32260
	योग प्रथम, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश व द्वादश वर्ष				551270
				Say	543037

1-प्रति है0 व्यय धनराशि:- 543037

2-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि-0.522 x 543037= 283465

रू0-283465

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

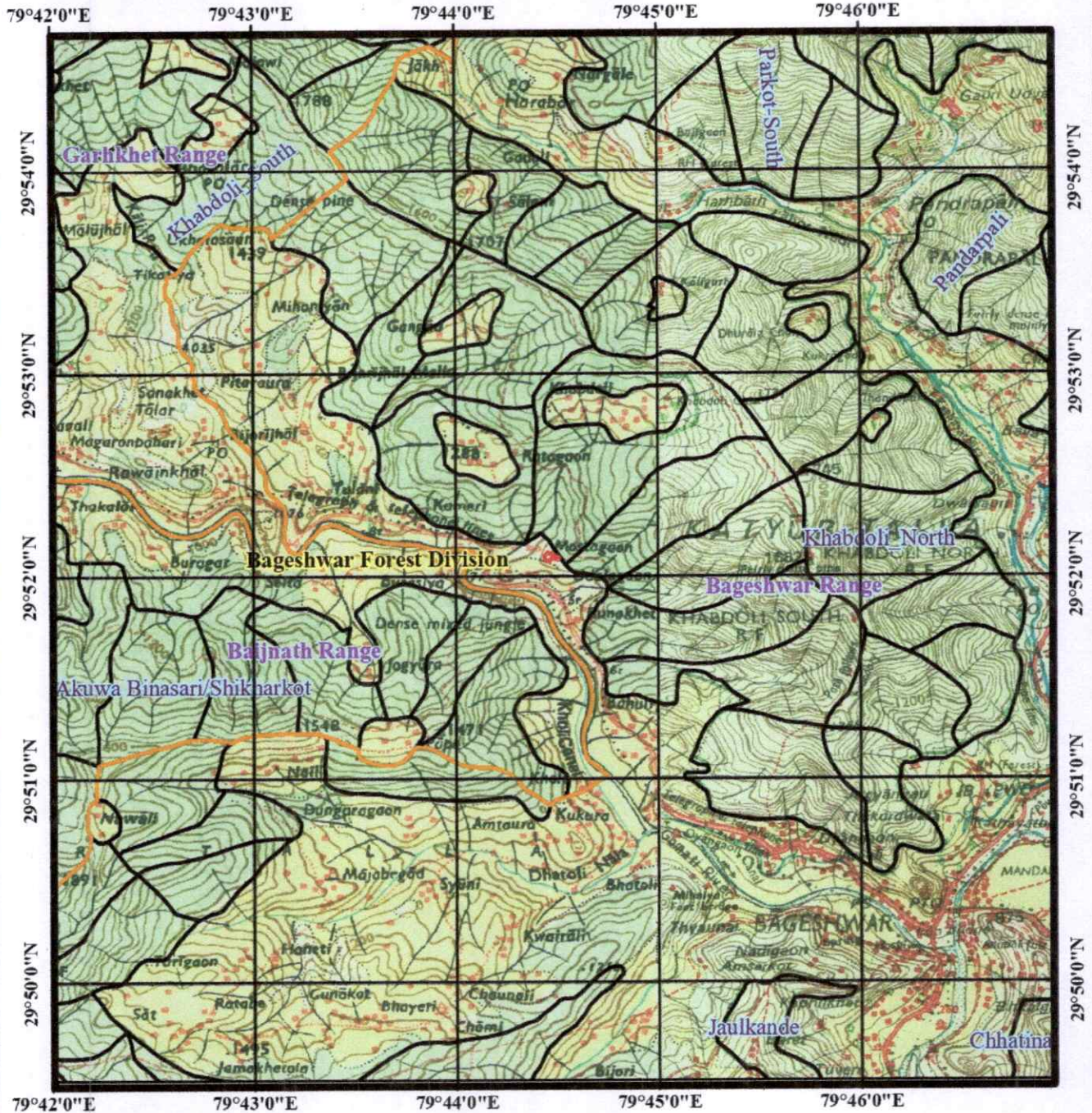
वनाधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

P.C. AITSIED

स्वायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० सि० वि०
बागेश्वर

डिजिटल मैप- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी० 15 से उड़लगौंव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्तावित वनीकरण स्थल - द० खडोली कक्षा 5 क्षेत्रफल 0.522 हैक्टेअर SOI Toposheet No: 53009-53013



Legend

- Propose CA Land
- Division Boundary
- Range Boundary
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
बागेश्वर

0 0.375 0.75 1.5 2.25 3
Kilometers

विक्रम अधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

उप-प्रभारी वनाधिकारी
बागेश्वर

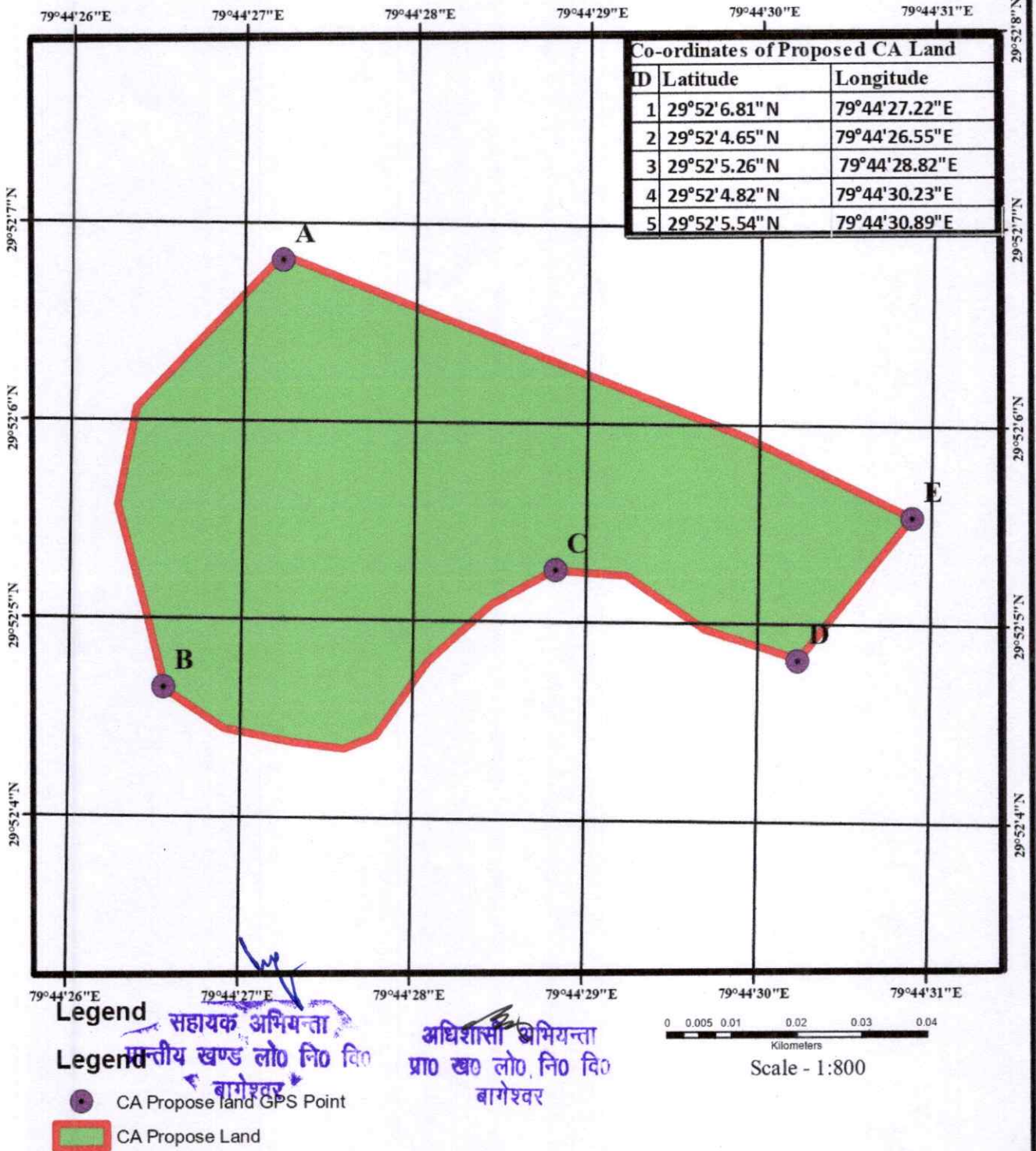
प्रभारी वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

Prepared by: UFTA, Haldwani

जियोरेफरेंसिंग मैप- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी० 15 से उड़लगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।



प्रस्तावित वनीकरण स्थल- द0 खबडोली कक्ष 5, क्षेत्रफल 0.522 हैक्टेअर



सहायक अभियन्ता
समन्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

Prepared by:UFTA. Haldwani

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-
बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी 0 15 से उडलगौव तक मोटर मार्ग
निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण
पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/
भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की
बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

Kailash chandhs
सहायक अभियंता 28/11/21
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

P. C. Alkhalid
सहायक अभियंता
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता 28/11/21
S. R. Pandey
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।